कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F-37(3)/नि.आ./एलपीसी/का.वि./2026/ **दिनांक :– यथा हस्ताक्षरित**

–: कार्यवाही विवरण :–

विषयः– ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की 40/2026 वीं बैठक दिनांक 30.06.2026 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–''1'' पर संलग्न है। बैठक के दौरान जोन–3 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया जाकर निम्नवत् निर्णय लिये गये।

समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की जोन–03 की 35/2026 वीं बैठक दिनांक 05.06.2026 के बैठक कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन–03

एजेण्डा संख्या 01 (राजकाज सं. 23598) (बैठक दिनांक 30.06.2026) :– **जोन–03**

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	493/03.06.2026		
2.	आवेदक का नाम	श्रीमती मथुरा पत्नी श्री जोधाराम		
3.	राजस्व ग्राम	पाल		
4.	खसरा संख्या	886/306		
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	13875.00 वर्गमीटर मे से 11744.00 वर्गमीटर		
6.	i. मास्टर/जोनल डवलपमेंन्ट प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग	आवासीय		
	ii. आवेदित भू–उपयोग मास्टर/जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं	अनुज्ञेय है		
	iii. जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित है अथवा नहीं	नही		
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना		
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 16 पर संलग्न है।		
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 12 पर संलग्न है।		
10.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड–यूज प्लान की प्रमाणित प्रति	राजकाज पर PUC-5/C पर संलग्न है।		
11.	प्रस्तावित ले–आऊट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनिकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 18 पर संलग्न है।		
12.	जोन चैकलिस्ट की प्रति	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 47–50 पर संलग्न है।		
13.	राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40–42 पर संलग्न है।		
14.	प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 21 पर संलग्न है।		
15.	तकनिकीविद्/आर्किटेक्ट का विवरण व शपथ पत्र	मै. कुमावत सर्वे एण्ड प्लानिंग सर्विसेज		
16.	ले–आऊट प्लान का प्रकार	आवासीय योजना		
		1 हैक्टेयर से कम	**1–10 हैक्टेयर**	10 हैक्टेयर से अधिक

RajKaj Ref No.: 23236533

Digitally signed by ANUJ AGARWAL
Designation: Senior Town Planner
Date: 2026-07-06 15:58:35 IST

v-1.0

17.	सहायक नगर नियोजक / प्रारूपकार द्वारा किए गए क्षेत्र विश्लेषण / मानदण्ड आदि का विवरण		राजकाज पर पैरा एन / 16 पर दर्शित है।		
18.	प्रस्तुत ले–आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण				
	क्र. सं.	विश्लेषण बिन्दू	टाऊनशिप पॉलिसी 2024 अनुसार नियमानुसार मानदण्ड	ले–आऊट प्लान में प्रदर्शित	टिप्पणी
	A.	योजना ले–आऊट प्लान में दर्शित कुल क्षेत्रफल	न्यूनतम 5000 वर्गमीटर आवश्यक है	11743.96 वर्गमीटर	अनुज्ञेय है
	B.	जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल (जोन चैक लिस्ट अनुसार)	13875.00 वर्गमीटर मे से 11744.00 वर्गमीटर	11743.96 वर्गमीटर	अनुज्ञेय है
	C.	विक्रय योग्य क्षेत्रफल	अधिकतम 60 प्रतिशत	55.51 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
		आवासीय क्षेत्र	–	53.41 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
		EWS/LIGH क्षेत्र	2 है0 से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओ हेतु आवश्यक	आवश्यक नही है।	अनुज्ञेय है
		वाणिज्यिक क्षेत्र (इन्फॉर्मल क्षेत्र)	प्रति 10 भूखण्डों पर एक इन्फार्मल शॉप (कुल प्रस्तावित 45 आवासीय भूखण्डों हेतु 5 इन्फार्मल शॉप आवश्यक है।)	5 इन्फार्मल शॉप प्रस्तावित है। (2.10 प्रतिशत)	अनुज्ञेय है
	D.	सुविधा क्षेत्र	न्यूनतम 4.00 प्रतिशत आवश्यक है।	04.00 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	E.	सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र	न्यूनतम 4.00 प्रतिशत आवश्यक है।	04.01 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	F.	MT, SWM क्षेत्र	प्रावधान आवश्यक है।	अपेक्षित है	अपेक्षित है
	G.	पार्क / खुला क्षेत्र / वृक्षारोपण	न्यूनतम 7 प्रतिशत (एक स्थान पर न्यूनतम 1000 वर्गमीटर)	08.52 प्रतिशत (पार्क + खेल मैदान क्षेत्रफल 1000.30 वर्गमीटर)	अनुज्ञेय है
	H.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई	टाऊनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान अनुसार न्यूनतम 12 मीटर आवश्यक है।	40 फीट	अनुज्ञेय है
19.	ले–आऊट प्लान अनुमोदन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर टिप्पणी		जोन चैक लिस्ट अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी है		
20.	यदि पूर्व में उक्त प्रकरण ले–आऊट प्लान समिति में रखा गया है तो बैठक दिनांक एवं विवरण अंकित करें साथ ही बैठक कार्यवाही विवरण भी संलग्न करें।		नहीं		
21.	प्रकरण के तथ्य : 1. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर डवलपमेंट प्लान की आवासीय भू–उपयोग की डी.सी.आर. अनुसार 40 फीट एवं अधिक सड़क मार्गाधिकार पर 2 हैक्टे. क्षेत्रफल तक आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.05.2026 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग में आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार राजस्व तहसीलदार एवं प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट (राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 301, 302, 306 / 3) अनुसार 40 फीट रखा जाना अपेक्षित है। 4. राजकाज के पैरा एन / 13 पर जोन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार *''आवेदित भूमि हेतु पूर्व मे स्वीकृत ले आउट प्लान दिनांक 17.03.2023 के अनुसार राजस्व ग्राम पाल खसरा संख्या 305 / 1 व*				

RajKaj Ref No.: 23236533

Digitally signed by ANUJ AGARWAL
Designation: Senior Town Planner
Date: 2026-07-06 15:58:35 IST

v-1.0

	306/2 PUC-4/C के अनुसार पूर्व दिशा में आवेदित भूमि को मौका अनुसार 30 फीट सीसी रोड़ पहुँच मार्ग/कमिटमेंट उपलब्ध हो रहा है तथा दक्षिण दिशा मे पूर्व मे स्वीकृत ले आउट प्लान दिनांक 01.11.2007 अनुसार राजस्व ग्राम पाल खसरा संख्या 301, 302, 306/3 PUC-3/C के अनुसार एवं मौका अनुसार 40 फीट सीसी रोड अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग/कमिटमेंट उपलब्ध हो रहा है।'' 5. आवेदक द्वारा जमाबन्दी अनुसार कुल क्षेत्रफल 13875.00 वर्गमीटर मे से 11744.00 वर्गमीटर भूमि हेतु आवेदन किया गया है। 6. आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा से उच्च क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है, जिसको आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है। 7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के 500 मीटर रेडियस की परिधि में पॉवर लाईन एवं 60 फीट अथवा चौड़ाई की सड़क उपलब्ध नहीं है एवं आवेदित भूमि से एच.टी. विद्युत लाईन गुजर रही है। साथ ही आवेदित भूमि में मौके पर मुटाम लगे हुए हैं। 8. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 25.05.2026 को आवासीय योजना प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 11744.00 वर्गमीटर जारी किया गया है, जो यह दर्शाता है कि आवेदित भूमि को न्यूनतम पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है (प्रति पृष्ठ संख्या 43 पर संलग्न है)।	
22.	प्रकरण में अनुशंषा की जाती है। हाँ/ना ?	हां
23.	यदि बिन्दु संख्या 22 में ना है, तो उक्त का विवरण	–
24.	**निर्णयः–** **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया :–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में उपलब्ध 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मौका स्थिति अनुसार 09 मीटर सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट बाबत् सुनिश्चितता की जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2024 के प्रावधानों का समावेश कर नियमानुसार संशोधन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. आवेदित भूमि के मानचित्र/ले–आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जावें। 5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024 व उक्त के क्रम में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावें। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में EWS/LIG के भूखण्डों हेतु नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें अथवा ले–आउट प्लान में नियमानुसार दर्शाते हुए जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित योजना में टाउनशिप पॉलिसी योजना अनुसार रहन रखे गये भूखण्डों में आवेदक/विकासकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 8. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।	

RajKaj Ref No.: 23236533

Digitally signed by ANUJ AGARWAL
Designation: Senior Town Planner
Date: 2026-07-06 15:58:35 IST
v-1.0

	9. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

RajKaj Ref No.: 23236533

Digitally signed by ANUJ AGARWAL
Designation: Senior Town Planner
Date: 2026-07-06 15:58:35 IST

v-1.0

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur-rj@gov.in वेब–साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2026/ (राजकाज सं. 23598)

श्रीमती मथुरा पत्नी श्री जोधाराम
निवासी : 489, लाला लाजपतराय कॉलोनी,
सरदारपुरा, जोधपुर।

विषय :– राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 886/306 रकबा 13875.00 वर्गमीटर मे से 11744.00 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 886/306 रकबा 13875.00 वर्गमीटर मे से 11744.00 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की 40/2026 वीं बैठक दिनांक 30.06.2026 में प्रस्तुत किया गया है। विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट www.joda.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

(अनुज अग्रवाल)
वरिष्ठ नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

पत्र प्राप्त
पत्र जावक शाखा 10/7
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर (राज.)

RajKaj Ref No.:
23270543

Digitally signed by ANUJ AGARWAL
Designation: Senior Town Planner
Date: 2026-07-07 16:59:47 IST

"GYAN - VIJAY PRAANGAN"

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 886/306 OF VILLAGE PAL
TEH. KUDI BHAGTASANI AT JODHPUR (New K.h. 934/886)

SCALE:-1"=50'

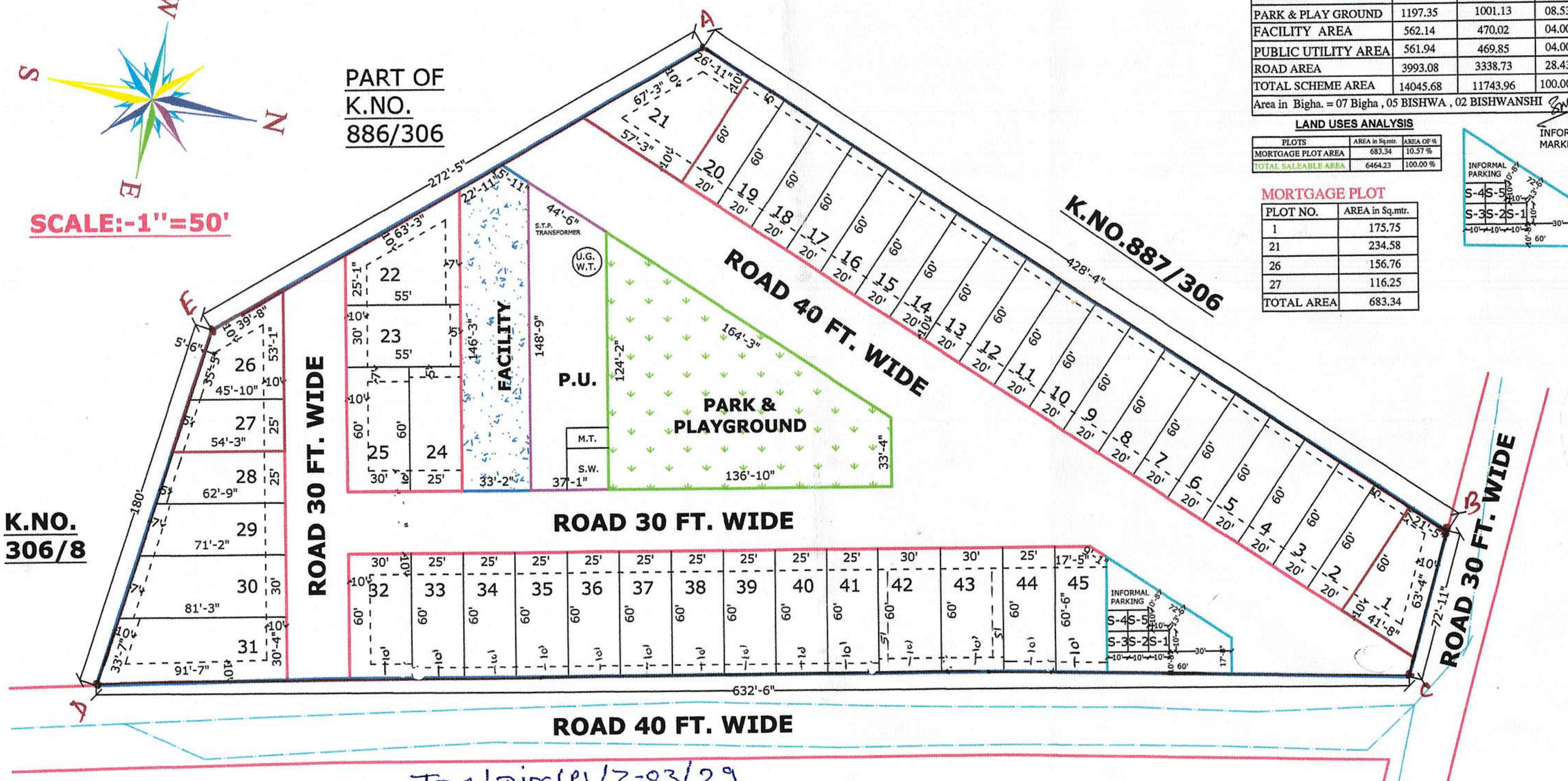

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA in Sq.mtr.	AREA OF %
SALEABLE AREA	7731.17	6464.23	55.04 %
TOTAL PLOT AREA	7485.28	6258.64	53.29 %
INFORMAL AREA	245.89	205.59	01.75 %
NON SALEABLE AREA	6314.51	5279.73	44.96 %
PARK & PLAY GROUND	1197.35	1001.13	08.53 %
FACILITY AREA	562.14	470.02	04.00 %
PUBLIC UTILITY AREA	561.94	469.85	04.00 %
ROAD AREA	3993.08	3338.73	28.43 %
TOTAL SCHEME AREA	14045.68	11743.96	100.00 %
Area in Bigha. = 07 Bigha , 05 BISHWA , 02 BISHWANSHI			

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.mtr.	AREA OF %
MORTGAGE PLOT AREA	683.34	10.57 %
TOTAL SALEABLE AREA	6464.23	100.00 %

INFORMAL MARKET

MORTGAGE PLOT

PLOT NO.	AREA in Sq.mtr.
1	175.75
21	234.58
26	156.76
27	116.25
TOTAL AREA	683.34

JDA/Dir(P)/Z-03/29
17/7/2026

NOTE :- PROVISION AS PAR POINT NO. 3.5.1. OF TOWNSHIP POLICY - 2024 FOR ELECTRICITY SUBSTATION/TRANSFORMERS, SEWERAGE TREATMENT PLANT, OVERHEAD/UNDERGROUND WATER TANK, SOLID WASTE COLLECTION CENTER, TELECOM INFRASTRUCTURE AND STREET GARBAGE CONTAINER WILL BE PROVIDED IN P. U. AREA AS PER FUTURE REQUIREMENTS

KEY-PLAN

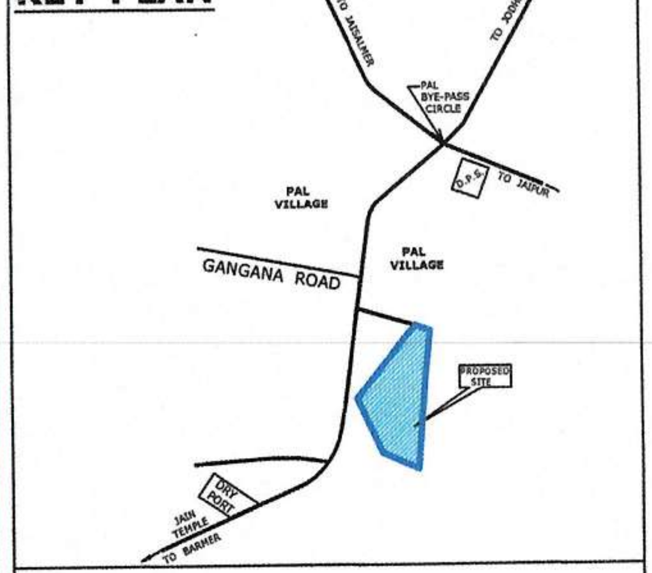

KHASRA MAP
NOT TO SCALE

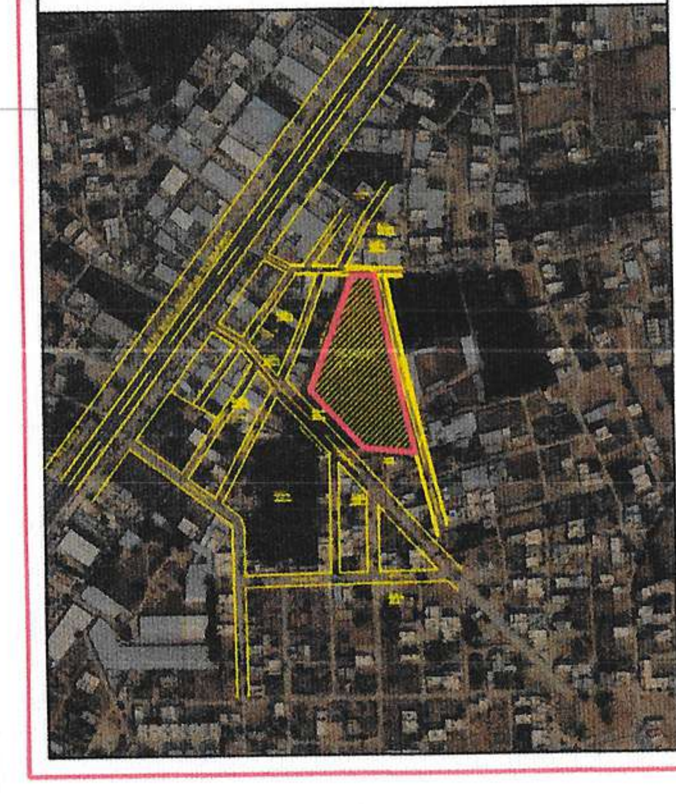

एजेण्डा संख्या 01 (राजकाज सं. 23598) (बैठक दिनांक 30.06.2026) :— जोन–03

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	493/03.06.2026
2.	आवेदक का नाम	श्रीमती मथुरा पत्नी श्री जोधाराम
3.	राजस्व ग्राम	पाल
4.	खसरा संख्या	886/306
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	13875.00 वर्गमीटर मे से 11744.00 वर्गमीटर
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना

7. निर्णय:—
समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया :—

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में उपलब्ध 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मौका स्थिति अनुसार 09 मीटर सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट बाबत सुनिश्चितता की जावें।
3. टाउनशिप पॉलिसी–2024 के प्रावधानों का समावेश कर नियमानुसार संशोधन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. आवेदित भूमि के मानचित्र/ले–आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जावें।
5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024 व उक्त के क्रम में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावें।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में EWS/LIG के भूखण्डों हेतु नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें अथवा ले–आउट प्लान में नियमानुसार दर्शाते हुए जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित योजना में टाउनशिप पॉलिसी योजना अनुसार रहन रखे गये भूखण्डों में आवेदक/ विकासकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
8. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
9. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

दिनांक 10.05.2026 को सुपर इम्पोज/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दु A से E मार्क किया गया।
09.07.2026
(सुरेश बिश्नोई)
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

10/7/26
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

10/7/26
वरिष्ठ नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

10/7/26
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (जोन-3)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

मथुरा

रोडाराम

P.NO.	SQ.YDS.	SQ.MTR.
1	210.19	175.75
2	133.33	111.48
3	133.33	111.48
4	133.33	111.48
5	133.33	111.48
6	133.33	111.48
7	133.33	111.48
8	133.33	111.48
9	133.33	111.48
10	133.33	111.48
11	133.33	111.48
12	133.33	111.48
13	133.33	111.48
14	133.33	111.48
15	133.33	111.48
16	133.33	111.48
17	133.33	111.48
18	133.33	111.48
19	133.33	111.48
20	133.33	111.48
21	280.55	234.58
22	248.72	207.96
23	183.33	153.29
24	166.67	139.35
25	200.00	167.23
26	187.46	156.74
27	139.03	116.25
28	162.36	135.75
29	186.10	155.60
30	253.93	212.32
31	299.38	250.32
32	200.00	167.23
33	166.67	139.36
34	166.67	139.36
35	166.67	139.36
36	166.67	139.36
37	166.67	139.36
38	166.67	139.36
39	166.67	139.36
40	166.67	139.36
41	166.67	139.35
42	200.00	167.23
43	200.00	167.23
44	167.34	139.92
45	166.86	139.51
TOTAL	7485.28	6258.64

Kumawat Survey & Planning Services
65, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg. No. C.T.P. RAJ/NAGAR MITRA 2021 (861) 670